राजस्व लोक अदालत केम्प पाटोदी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 66/2018 2018/01468

वादीगण :– 1 नारायणसिंह पुत्र सूरजदान चारण निवासी कोडूका
बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सुमेरदान पुत्र सूरजाराम, 2 महीपाल पुत्र सरूजराम वगै0

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–22.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पटोदी में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम कोडूका के खसरा न0 23, 27, 32, 34, 40, 98 जुमले रकबा 264–15 बीघा मे अपीलाण्ट के खातेदारी हक हिस्सा जरिये पिता के देहान्त के पश्चात नमान्तरकरण संख्या 194 के दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम पृथ्वीसिंह दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार नारायणसिंह पुत्र सूरजदान है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम नारायणसिंह पुत्र सूरजदान करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता सुमेरदान, महिपालसिंह, भवंरकंवर, गंगादान, अखेदान व पटवारी पाटोदी/आर.आई पाटोदी/ उपतहसीलदार पाटोदी व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे पृथ्वीसिंह की जगह नारायणसिंह पुत्र सूरजदान नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजगे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम पृथ्वीसिंह की जगह नारायणसिंह पुत्र सूरजदान करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...पाटोदी...........

Scanned by CamScanner